

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224883
SG-DL-E-02022021-224883असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/माघ 12, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 307
No. 46]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942	[N. C. T. D. No. 307

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIराज्य चुनाव आयोग
अधिसूचना

दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं.फा. 4(1)उप/ओएसडी-1/विधि/रा.चु.आ./2021(i)8046.—जबकि उत्तरी व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पाँच वार्डों में पाँच आकस्मिक रिक्तियाँ हुई हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 2011 द्वारा तथा इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव 28.02.2021 को होंगे :-

क्रम सं.	वार्ड का नं. तथा नाम	आरक्षण की स्थिति	नगर निगम का नाम
1	2	3	4
1.	32एन- रोहिणी सी	सामान्य	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
2.	62एन -शालीमार बाग उत्तरी	महिला	उत्तरी दिल्ली नगर निगम

3.	02ई- त्रिलोकपुरी पूर्वी	अनुसूचित जाति	पूर्वी दिल्ली नगर निगम
4.	08ई- कल्याणपुरी	अनुसूचित जाति	पूर्वी दिल्ली नगर निगम
5.	41ई-चौहान बांगर	सामान्य	पूर्वी दिल्ली नगर निगम

अतः उपरोक्त दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2011 यथासंशोधित की धारा 12 के अनुसार मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा संबंधित दिल्ली नगर निगमों के उपरोक्त वर्णित वार्डों के मतदाताओं का उक्त अधिनियम, नियमावली और इनके अन्तर्गत बनाए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार पार्षदों के चुनाव 13.03.2021 से पहले करने का आह्वान करता हूँ।

उपरोक्त वर्णित उप-चुनावों के प्रयोजनार्थ उक्त उल्लिखित संबंधित नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के आरक्षण की स्थिति प्रत्येक वार्ड के सामने कालम संख्या 3 में दर्शाई गई, और तदनुसार उक्त वार्डों की सीट प्रत्येक वार्ड के सामने उल्लिखित श्रेणी के प्रत्याशियों द्वारा ही भरी जाएगी।

ह 0

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

**STATE ELECTION COMMISSION
NOTIFICATION**

Delhi, the 1st February, 2021

No. F.4(1)BYE/OSD/legal/SEC/2021/(i)8046.—WHEREAS Five casual vacancies have occurred in five (5) wards of the North & East Delhi Municipal Corporation, as shown below and bye-elections to fill the said vacancies shall be held on 28.02.2021 in accordance with the provisions of section 12 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 and the rules made thereunder:-

S. No. No. & Name of Ward Status of Reservation Name of the Municipal Corporation

1	2	3	4
1.	32N- Rohini-C	General	North Delhi Municipal Corporation
2.	62N- Shalimar Bagh North	Female	North Delhi Municipal Corporation
3.	02E- Trilok Puri East	Scheduled Caste	East Delhi Municipal Corporation
4.	08E- Kalyanpuri	Scheduled Caste	East Delhi Municipal Corporation
5.	41E- Chauhan Bangar	General	East Delhi Municipal Corporation

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon me by section 12 of the aforesaid Delhi Municipal Corporation Act, 1957, as amended by Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, I, Sanjay Kumar Srivastava, State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby call upon the

electorates of the above-mentioned wards of the concerned Municipal Corporations of Delhi, to elect Councillors in accordance with the provisions of the said Act, Rules and Orders made thereunder before 13.03.2021.

For the purpose of the above-mentioned bye-elections, the reservation status of each ward of a Municipal Corporation mentioned above, is shown against each ward and accordingly, the seat in the said wards, shall be filled by a candidate of the category mentioned against each ward in Column 3.

Sd/-

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, State Election Commissioner